

25/08/2022

हस्तगत प्राप्य के संबंधित मूल वादपत्र का निस्तारण हो जाने के कारण पत्रावली शुरू नियत तारीख पेची से तलब की जाकर आज पेश हुई।

शुद्धि हस्तगत वादपत्र से संबंधित मूल वादपत्र का निस्तारण आज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्राप्य की आई में आगे और कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर ठण्ठ की जाती है। पत्रावली के उसल शुमान लोकन मन्थर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निगमि पुले न्यायालय में सुनाय गया।



(राजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
खण्डेला (सीकर)  
उपखण्ड अधिकारी  
खण्डेला (सीकर)